

37
46

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सामन्वय विभाग

:: संकल्प ::

संकल्प सं०-सं०का०/विधि-5029/2001/5029/पटना-15, दि० 8 मार्च, 2001

विषय:- बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्यटन/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के संबंध में।

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित होने वाले आयोगों/बोर्डों/निगमों/पर्यटन/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के देय सुविधाओं में से कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सायब-विचारोपरत राज्य सरकार द्वारा ऐसे महानुगतों को मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की देय सुविधाओं में से निम्नलिखित सुविधाएं यथा नीचे वर्णित रीति से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है:-

2- वेतन :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त महानुगतों को प्रति माह 8000/- (आठ हजार रुपये) अनुमान्य होगा।

3- आवास भत्ता :-
✓ (क) मंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिमाह।
(ख) राज्यमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 8,000/- (आठ हजार रुपये) प्रतिमाह।
(ग) उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 6,000/- (छह हजार रुपये) प्रतिमाह।

4- आवास की सुविधा :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होंगे। आवास तथा आवास के रख-रखाव एवं साज-सज्जा की जिम्मेवारी गठन निर्माण विभाग की होगी।

5- वाहन की सुविधा :-
वाहन (प्रतिमाह 250 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक)।

6- सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की यात्रा की आवश्यकता का आकलन विभाग करेगा। निजी कार से अगर संभव मार्ग से सरकारी कर्तव्य के लिए यात्रा की जाती है तो 10/- रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता देय होगा। आवश्यकता होने पर हवाई यात्रा की सुविधा अनुमान्य होगी।

7- दैनिक भत्ता :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदावधि पर्यन्त 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

8- दूरभाष की सुविधा :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रशासकीय विभाग कार्यालय तथा आवास पर एक-एक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

9- चिकित्सा सुविधा :-
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान प्रशासकीय विभाग के स्तर से किया जाएगा।

10 निजी कर्मियों की सुविधा :-

क्र०	महानुभाव	आप्त सचिव	निजी सहायक	नि०००लि०	आदेश पत्र
1.	मंत्री स्तर	02	02	01	02
2.	राज्य मंत्री स्तर	01	02	01	01
3.	उप मंत्री स्तर	01	01	01	01

क्रमांक 1 से 10 तक की उपर्युक्त सुविधाओं पर होने वाले व्यय का वृत्त संबंधित प्रशासी विभाग करेगा

11 उपर्युक्त सुविधायें नियुक्ति की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।


12- वर्तमान विधि के अनुसार ही मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त मात्र विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपसभाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति तथा विधान सभा एवं परिषद में विरोधी दल के नेता को एच०ओ०आर० की सुविधा अनुमान्य होगी। इससे भिन्न जिन महानुभावों को मंत्री/राज्यमंत्री की सुविधा दी जाती है, वैसे मामलों में औचित्य होने पर मुख्यमंत्री के विशेष आदेश से ही एच०ओ०आर० की सुविधा दी जायेगी।

13- यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य हों तो सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधाओं अथवा मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त होने के कारण उपलब्ध होने वाली सुविधाओं में से किसी एक का उपभोग कर सकेंगे।

14- उपर्युक्त सुविधाओं के संबंध में पूर्व के अब तक निर्गत अन्य सभी आदेश/निर्देश/परिपत्र/संगत्य आदि निरस्त समझे जायेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय साथ ही सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।


बिहार राज्याधी के आदेश से,


8/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।

क्रमांक- 502

/दि-8/3/07

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/ वित्त आरूक, बिहार, राज्य/राणी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



8/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।

क्रमांक- 502

/दि-8/3/07

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, राजकीय सुप्रसारण, मुलजतरनाम, वटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।